न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4112/2018/ग्वालियर/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 06.06.2018 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, वृत्त सिरसौद, तह. व जिला ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 36/अ-12/2017-18.

रामस्वरूप शर्मा पुत्र श्री प्यारेलाल
निवासी ग्राम बहांगीखुर्द
तह. व जिला ग्वालियर, म.प्र. ....आवेदक

विरूद्ध

1. केदार सिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह
   निवासी बहांगीखुर्द,
   तह. व जिला ग्वालियर, म.प्र.
2. म.प्र. शासन ....अनावेदक

श्री के.पी. शर्मा, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक ८/५/१९ को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, वृत्त सिरसौद, तह. व जिला ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 06.06.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्र. 1 केदारसिंह पुत्र प्रहलाद सिंह निवासी बहांगीखुर्द द्वारा संहिता की धारा 129 के तहत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के यहां प्रचलित रिट याचिका क्र. 22827/2017 दिनांक 21.12.2017 में दिये गये निर्देशों के पालन में नायब तहसीलदार, वृत्त सिरसौद, तह. व जिला ग्वालियर के समक्ष भूमि स्थित ग्राम बहांगीखुर्द के सर्वे क्र. 377, 475, 476, 477, 478, 484, 485 के सीमांकन टी.एस.एम. मशीन से कराये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। नायब तहसीलदार द्वारा

प्रकरण क्र. 36/अ-12/2017-18 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई। राजस्व निरीक्षक, वृत्त उटीला द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कर प्रतिवेदन, फील्ड बुक, नक्शा मय पंचनामा नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा किसी पक्ष के द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण दिनांक 06.06.2018 तक को आदेश पारित करते हुए प्रकरण समाप्त किया गया। नायब तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अनावेदक द्वारा राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 27.09.2017 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष याचिका क्र. 22827/2017 प्रस्तुत की गई थी, जो कि आवेदक की भूमि सर्वे क्र. 378 स्थित ग्राम बहांगीखुर्द की भूमि पर अनावेदक क्र. 1 को बेदखल करने के विरूद्ध था, किंतु राजस्व कर्मचारियों व विचारण न्यायालय द्वारा सर्वे क्र. 378 की भूमि का सीमांकन न करके अन्य सर्वे क्र. की भूमि का सीमांकन किया गया व उक्त सीमांकन रिपोर्ट में कहीं भी सर्वे क्र. 378 का उल्लेख नहीं किया गया ना ही उक्त सर्वे नंबर की भूमि का सीमांकन किया गया। मौके पर आवेदक द्वारा आपत्ति किए जाने के बावजूद राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त तथ्यों पर विचार नहीं किया गया। विचारण न्यायालय ने भी राजस्व कर्मचारियों द्वारा किये गये उक्त गलतियों पर बिना विचार किए आदेश पारित कर दिया गया, जो कि विधि विपरीत होने से निरस्ती योग्य है।

(2) राजस्व निरीक्षण वृत्त सिरसौद एवं राजस्व निरीक्षक वृत्त उटीला द्वारा अपनी सीमांकन प्रतिवेदन में सर्वे क्र. 483 को आवेदक रामस्वरूप पुत्र प्यारेलाल का बताया गया है, जबकि तहसील न्यायालय से लेकर राजस्व मण्डल के आदेश में एवं समस्त राजस्व रिकॉर्ड में आवेदक सर्वे क्र. 378 का भूमिस्वामी है। सर्वे क्र. 483 का भूमि स्वामी आवेदक नहीं है, किंतु राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी रिकॉर्ड का अवलोकन किए व माननीय उच्च न्यायालय व अन्य न्यायालयों के आदेश के अवलोकन के बगैर ही मनमाने तरीके से सीमांकन किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया, क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि जो कि सर्वे क्र. 378 है, किंतु उक्त सर्वे नंबर का सीमांकन नहीं किया गया, विचारण न्यायालय ने भी उक्त तथ्यों व रिकॉर्ड के अवलोकन के बगैर आलोच्य आदेश पारित किया है, जो कि गंभीर त्रुटि होने से निरस्ती योग्य है।

(3) आवेदक को राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन हेतु दिये गये सूचना पत्र में सीमांकन किए जाने वाले भूमि सर्वे क्र. व सीमांकन किए गये सर्वे क्र. राजस्व निरीक्षक प्रतिवेदन में दिये गये सर्वे क्र. में भी अंतर है, जो कि गंभीर कानूनी गलती है। ऐसा प्रतीत होता है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना रिकॉर्ड के जल्दबाजी में सीमांकन कार्यवाही की गई है, जो कि विधि अनुकूल नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) सीमांकन दल द्वारा स्थाई सीमाचिन्ह से सीमांकन न करके मनमाने तरीके से सीमाचिन्ह निर्धारण कर सीमांकन किया गया है, क्योंकि पूर्व में उक्त् भूमि का कई बार स्थाई सीमाचिन्ह से सीमांकन किए गये एवं पूर्व में किए गये सीमांकन में प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक का अवैध कब्जा पाया गया है, किंतु विचारण न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर बिना विचार किए आदेश पारित किया, जो कि विधि अनुकूल नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(5) राजस्व निरीक्षक द्वारा अपनी सीमांकन प्रतिवेदन में सर्वे क्र. 483 को आवेदक रामस्वरूप का होना बताया है, जबकि उक्त सर्वे नंबर आनंद शर्मा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में है, किंतु आनंद शर्मा को उक्त सीमांकन की कोई सूचना नहीं दी गई। मेड़िया कृषक की अनुपस्थिति में मनमाने तरीके से सीमांकन किए गए, जो कि विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(6) उल्लेखनीय तथ्य यह है कि सर्वे क्र. 438 स्थित ग्राम बहांगीखुर्द की भूमि आनंद शर्मा के नाम है एवं उक्त सर्वे क्रमांक की भूमि पर माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर के पिटीशन नं. 22830/2017 के आदेश दिनांक 21.12.2012 में सर्वे क्र. 483 की भूमि पर स्थगन आदेश पारित कर दिया है एवं वर्तमान में उक्त पिटीशन उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर के समक्ष विचाराधीन है।

अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक क्र. 1 के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा रही है।

5/ आवेदक पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर के निर्देशों के बाद किया गया था। आवेदक प्रकरण में आवश्यक पक्षकार था, उसने सीमांकन के समय नायब तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की

थी, जिस पर कोई विचार एवं निराकरण नहीं किया गया। नायब तहसीलदार के अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक के सर्वे क्र. 378 की भूमि का सीमांकन न करके अन्य सर्वे क्र. की भूमि का सीमांकन किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त सीमांकन में पूर्ण तथ्यों को ध्यान में न लेते हुए सीमांकन की कार्यवाही की गई है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा पारित सीमांकन आदेश 06.06.2018 वैधानिक एवं उचित न होकर निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण नायब तहसीलदार, वृत्त सिरसौद को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाना उचित होगा कि वह सीमांकन के समय आवेदक द्वारा ली गई आपत्ति एवं उससे संबंधित पूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पुनः सीमांकन कर आदेश पारित करें।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार, वृत्त सिरसौद, तह. व जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.06.2018 निरस्त किया जाता है। निगरानी स्वीकार कर उपरोक्त विवेचना के तारतम्य में प्रकरण नायब तहसीलदार की ओर पुनः सीमांकन कर आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर